

फर्द अहकाम

- उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

अर्थात्
अर्थात्
2025/17

अप्राथ
बनाम राजस्थान सर
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12

आज्ञा विस्तृत रूप से

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 128 एल.आर. अधिवक्ता श्री रामनिवास मीना द्वारा विरुद्ध अप्रार्थी पेश किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र वि अप्रार्थीगण दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की ज नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.01.2018 पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी, जयपुर

9/1/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति उपरि
पत्रावली के अवलोकन से यह पृष्ठ होना
की प्रार्थना पत्र कावत पत्रावली करके पत्र
का पेश किया है। जिसमें वाप आता आरजी
के समीपवर्ती कक्षावली को सुजा जाना
अवशामक है। आता वकील प्राप्ति का संश्लि
लिपिक पेश करे एवं मकअहसास नोटिस पेश करे
की (ह्याभता पी जाकर पत्रावली वाप संश्लि
लिपिक पेश होके ए मकअहसास (दिनांक 9/2/18
की पेश है।

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राप्ति के संश्लि उपरि
पेश किया जा शामिल फारवा किया गया। पत्रावली
अप्राथीगण के वाप जारी होकर (दिनांक 12/1/18
की पेश है।

उप

व्यक्तिगत

(21/2/18)

कक्षाप्रमुख के द्वारा ही कर जैसा भी मामिला
 तथा पुस्तकें के लेने से अना करने के अंतत
 यथा करने की पुष्टि की गई नोहिसो भी मामिला
 समझ कर से मानी जाती है। आवाज वाक्यकार
 लघुगति! अन्तिम आवाज 4:45 PM पर लघु
 क्षेत्र उपस्थित वही आया! आते! अप्राचीनस्था
 कलत्रागत 10 के लिये एक तरफा कार्यावली अमल
 में लगे जाती है। वही एक तरफा सुनी गई।
 धराने वही वही प्रार्थना में प्रार्थना पर के
 गयीं का वैलयाग तथा अप्राचीन के अंत
 श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के समक्ष प्रस्ताव
 प्रार्थना पर प्रार्थना अप्राचीन के द्वारा फल
 करने के अंतत पर प्रार्थना करने में कोई
 आशंका वही ही के करने की और अंत
 आदेश पर वाप अंत आराजी की पर प्रार्थना
 करने का लिये लिये हम प्रार्थना के प्रार्थना
 पर वही में पर प्रार्थना द्वारा कराने गये लिये
 आज की रिपोर्ट, अप्राचीन के द्वारा श्रीमान जिला
 कलक्टर महोदय के प्रस्ताव प्रार्थना पर का
 अवलोकन कर हम अंत लिये पर प्रार्थना है
 की प्रार्थना वाप अंत आराजी के रिपोर्ट
 अंतत से का अंतत है। प्रार्थना वाप
 अंतत अप्राचीन पर का अंत है। का अंत
 है। से पर प्रार्थना करने के अंतत
 है। प्रार्थना अंत वाप अंतत आराजी
 का अंत अंतत अंतत अंतत है।

उ अधिकार
 कक्षा प्रमुख

फर्द अहकाम

न्यायालय:- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, बस्सी

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवर

जिससे पाठ्यरगड़ी से श्रवण की प्रक्रिया प्राथमिक
द्वारा श्रवण कर लिया जाना मुश्किल होता है।

प्राथमिक में मध्य अक्षरों + लगायत 10 के
प्रथम पत्र में कोई लिपिगत शब्द मध्य अक्षरों
नहीं होने से प्राथमिक का प्रथम पत्र व्यापक
इस प्रकार भोग्य पाते हैं।

अतः प्राथमिक का प्रथम पत्र लिखकर

लिखा जाकर गटलीदार बल्ब/लिफ्ट लिफ्ट
जो है की श्रवण सुपना की सवि उभयपक्ष की
मौजूदगी में प्राथमिक की वाप अस्त अराजिमात
खसरा नं० 59 नया 45 खसरा नं० 68
रकबा 5.14 सिखा खसरा नं० 68/1 रकबा
4.14 सिखा खसरा नं० 68/2 रकबा 5.14
सिखा खसरा नं० 68/3 रकबा 11.2 सिखा खसरा
खसरा नं० 15 खसरा नं० 56/2 रकबा
0.19 सिखा रकबा 56/3 रकबा 0.16 सिखा, खसरा
नं० 56/4 रकबा 0.18 सिखा खसरा नं० 56/5
रकबा 0.02 सिखा खसरा नं० 56/6 रकबा 0.16
खसरा नं० 56/7 रकबा 0.07 खसरा नं० 56/8
रकबा 0.03 खसरा नं० 56/9 रकबा 0.15
खसरा नं० 56/10 रकबा 0.10 सिखा खसरा नं०